

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 12th March, 2013

S.R.O. 15.—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules to amend the Navy Group 'A' and 'B' Navy (Civilian Gazetted Store Officers Posts) Recruitment Rules, 2002.

1. **Short title and Commencement.** - (1) These rules may be called Navy Group 'A' and 'B' Navy (Civilian Gazetted Store Officers Posts) (Amendments) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Navy Group 'A' and 'B' Navy (Civilian Gazetted Store Officers Posts) Recruitment Rules, 2002, for the existing entry under column (5) occurring against the posts of Senior Director, Director, Senior Naval Store Officer and Naval Store Officer, the entry "Selection" shall be substituted.

[No. CP(G)/1465/STORES/262/RR/D(Apptts)]

K. K. DAIMARY, Under Secy.

Foot Note: The principal rules were published in the Official Gazette *vide* S.R.O. 47 dated 5th February, 2002.

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2013

का.नि.आ. 16.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सैनिक इंजीनियर सेवा (प्रधान प्रशासनिक, ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी 1, प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी II भर्ती नियम, 2000 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने के लोप किया गया है संबद्ध सैनिक इंजीनियर सेवा में प्रधान प्रशासनिक अधिकारी, ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी 1 और प्रशासनिक श्रेणी 1 और प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी II के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सैनिक इंजीनियर सेवा (प्रधान प्रशासनिक, ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक श्रेणी अधिकारी 1, प्रशासनिक अधिकारी II समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना :-** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची					
पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रधान प्रशासनिक अधिकारी	2* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15,600—39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु.	चयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
(7)			(8)	(9)	
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>प्रोन्नत : वेतन बैंड-3 वेतनमान 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 की श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले ऐसे ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो ज्येष्ठ प्रशासनिक स्तर पर कार्यालय प्रधान के द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित एम.ई. एस में न्यूनतम एक सप्ताह का वैयक्तिक प्रबंधन पर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं।</p> <p>टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

(11)

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है। नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार जिसमें संघ राज्य क्षेत्र भी है के अधीन ऐसे अधिकारी :—

- (क)(i) जो नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, वेतनमान 15600—39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा है; और
(ख) स्थापन, प्रशासन और लेखा संबंधी कार्य करने में पांच वर्ष का अनुभव रखते हैं।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

समूह “क” विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) :—

- | | |
|--|----------|
| 1. अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग | —अध्यक्ष |
| 2. संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय | —सदस्य |
| 3. महानिदेशक (कार्मिक), मुख्य इंजीनियर की शाखा | —सदस्य |

(13)

किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	17* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता
	(7)		(8)		(9)
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष
	(10)		(11)		
	प्रोन्नति द्वारा		प्रोन्नति : वेतन बैंड-2, वेतनमान 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. की श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले ऐसे प्रशासनिक जो प्रशासनिक अधिकारी के श्रेणी-1 स्तर पर कार्यालय प्रधान के द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित नागरिक सेवा से संबंधित परिस्थिति के नीति विषयक मामलों पर प्रशिक्षण या प्रशासनिक मामले पर न्यूनतम एक सप्ताह का पुनश्चर्या प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर चुके हैं। टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा। वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		
	(12)		(13)		
	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) :—		किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।		
	1. अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग	—अध्यक्ष			
	2. संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय	—सदस्य			
	3. महानिदेशक (कार्मिक), मुख्य इंजीनियर की शाखा	—सदस्य			

(11)

एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)

(13)

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :-

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

- | | |
|--|----------|
| (i) महानिदेशक (कार्मिक) मुख्य इंजीनियर की शाखा | —अध्यक्ष |
| (ii) संयुक्त/उप महानिदेशक (कार्मिक) मुख्य इंजीनियर की शाखा | —सदस्य |
| (iii) अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय | —सदस्य |

[सं. पी.सी.-85609/19/आर.आर.एस./प्रशा./सीएससीसी/50/र. (नि.)]

के. के. दैमारी, अवर सचिव

New Delhi, the 6th March, 2013

S.R.O. 16.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution and in supersession of the Military Engineer Services (Principal Administrative Officer, Senior Administrative Officer, Administrative Officer Grade I and Administrative Officer Grade II) Recruitment Rules, 2000, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Principal Administrative Officer, Senior Administrative Officer, Administrative Officer Grade I and Administrative Officer Grade II is concerned in Military Engineer Service, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Military Engineer Services (Principal Administrative Officer, Senior Administrative Officer, Administrative Officer Grade I and Administrative Officer Grade II) Group 'A' and 'B' Posts Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of Posts, classification, Pay band and Grade Pay and Scales of Pay.—The number of said posts, their classification, pay band and grade pay and the scales of pay attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule attached to these rules.

4. Method of Recruitment, age-limit, and other qualification, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in Columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification.—No person,—

- (a) who have entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Principal Administrative Officer	2* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'A', Gazetted, Ministerial	PB-3, Rs. 15600— 39100 (Grade Pay Rs. 7600)	Selection	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruitment			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	
(7)			(8)	(9)	
Not applicable			Not applicable	Not applicable	
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods			In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made		
(10)			(11)		
By promotion failing which by deputation			<p>Promotion : Senior Administrative Officer in the scale of pay of Rs. 15600—39100 with grade pay of Rs. 6600 in PB-3 with 5 years regular service in the grade who have successfully completed training on personal management in MES of minimum one week duration at Senior Administrative Officer level duly certified by the head of the office.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying (eligibility) service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade, alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation : Officers under the Central State Governments including Union Territories.</p>		

(11)

- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or
(ii) minimum five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600 in PB-3 or equivalent in the parent cadre/department and
(b) possessing five years experience in Establishment, Administrative and Accounts matter.

Note 1 : The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay /pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)

- (i) Chairman or a Member of Union Public Service Commission —Chairman
(ii) Joint Secretary Ministry of Defence —Member
(iii) Director General (Personnel), Engineer-in-Chief's Branch —Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Senior Administrative Officer	17* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Pay Band-3, (Rs. 15600—39100) Grade Pay Rs. 6600	Selection	Not applicable
	(7)	(8)	(9)		
	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees		

(10)	(11)				
By promotion	<p>Promotion : Administrative Officer Grade I in the scale of pay of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4800 in PB-2 with six years regular service in the grade who have successfully completed training on Policy matters related to Civilian Service Condition or Refresher course on Administrative matter of minimum one week duration at Administrative Officer Grade-I level duly certified by the head of the office.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission.</p>				
(12)	(13)				
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)</p> <p>(i) Chairman or a Member of Union Public Service Commission —Chairman</p> <p>(ii) Joint Secretary Ministry of Defence —Member</p> <p>(iii) Director General (Personnel), Engineer-in-Chief's Branch —Member</p>	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Administrative Officer Grade-I	35* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 Grade Pay Rs. 4800	Selection	Not applicable
(7)	(8)	(9)			
Not applicable	Not applicable	Nil			
(10)	(11)				
By promotion	<p>Promotion : Administrative Officer Grade II in the scale of pay of Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4600 in PB-2 with two years regular service in the grade who have successfully completed training on RTI and Administrative or Refresher course of minimum one</p>				